कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

S.S(UPM)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), अरवल
जिला– अरवल

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के नवम्बर 2011 से मई 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 641 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14688 / 213 दिनांक– 19.09.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, अरवल

Ravi 19/09/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
22 SEP 2017
संख्या 8687
बिहार, पटना

प्राप्ति तिथि
21 SEP 2017

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 641/2017–18
भाग–I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल
2.	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम	श्री योगेन्द्र राम, कार्यपालक अभियंता
3	लेखा की अवधि	नवम्बर 2011 से मई 2017 तक
4.	लेखापरीक्षा की अवधि	20.06..2017 से 27.06.2017 तक
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री प्रमोद रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री कुमार अग्निवेश, लेखापरीक्षक
6.	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री अशोक कुमार झा, व0ले0प0अ0
7.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	माह नवम्बर 2011 से माह मई 2017 के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। माह फरवरी 2012 एवं अगस्त 2013 के लेखाओं की विस्तृत जाँच की गई। माह फरवरी 2012 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गई। इसी क्रम में उपलब्ध कराए गए योजना अभिलेखों एवं अभिश्रवों आदि की नमूना जाँच की गई।
8.	पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्त्तमान स्थिति	वर्त्तमान लेखापरीक्षा इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है।
9.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया?	हाँ आपत्तियों पर दिनांक 27.06.2017 को विचार–विमर्श किया गया। जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II(क)

शून्य

भाग– II(ख)

कंडिका 1. संवेदकों द्वारा प्रयुक्त अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक काम कराया जाना रू0 7.60 लाख

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं में संवेदकों के द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक कार्य कराये जाने के फलस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया जिससे राज्य सरकार को रू0 759991की हानि हुई जिसे संबंधित संवेदकों से वसूल कर लेखा परीक्षा कार्यालय, बिहार, पटना को सूचित किया जाय। विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	योजना सं0 एवं वर्ष	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार)	कार्य की मात्रा जिन्हें मापी पुस्त में दर्ज किया गया	कराये गये अधिक कार्य की मात्रा	कुल अधिक कराये गये कार्यों का मूल्य
01	08/16–17	E/W in foundation	573.9 M^3	859.60 M^3	285.7 M^3	66082
		L. sand fillings	10.68 M^3	112.14 M^3	101.46 M^3	19531
		B.E. Solings	140.05 M^2	322.56 M^2	182.51 M^2	41539
		PCC (1:1.5:3)	108.72 M^3	179.65 M^3	70.93 M^3	287108
					(B)	414260
02	03/14–15	Embankment work	679.56 M^3	689.88 M^3	10.32 M^3	2293
		Local sand fillings	169.80 M^3	172.47 M^3	2.67 M^3	975
		B.E. soling work	1114.8 M^2	1132.00 M^2	17.20 M^2	6421
		PCC work	224.16 M^3	227.66 M^3	3.50 M^3	21010
					(C)	30699
03	01/16–17	E/work	767.31 M^3	816.16 M^3	48.85 M^3	10854

		Local sand fillings	90.27 M^3	101.13 M^3	10.86 M^3	5268
		B.F. solings	592.47 M^2	669.00 M^2	76.53 M^3	17602
		PCC (1:2:4)	90.27 M^3	101.13 M^3	10.86 M^3	45360
		B/W in foundation & plinth	211.55 M^3	238.82 M^3	27.27 M^3	123[illegible]33
		Cement plaster (12mm thick)	1080.39 M^2	1165.44 M^2	85.05 M^2	9150
		C.plaster (1.5 mm thick)	1080.39 M^2	1165.44 M^2	85.05 M^2	2373
		RCC (1:1.5:3) in drain cover	90.27 M^3	101.13 M^3	10.86 M^3	58572
		m.s. Reinforcement in RCC drain cover	7770 Kgs	8372.00 Kgs	602.00 Kgs	42020
					(E)	315032
					(B+C+E)	759991

उपरोक्त के आलोक में संबंधित संवेदकों से राशि वसूलने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जांचापरान्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 2. <u>Bill of quantities (BOQ) के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में रखकर राशि का अवरूद्धीकरण, रू0 5.16 लाख</u>

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के नमूना जाँच में पाया गया कि फरवरी 2012 से मई 2017 की अवधि में कार्यालय को Bill of quantities (BOQ) के रूप में कुल रू0 516250 प्राप्त हुआ था। विवरणी निम्नवत है:—

क्रम सं0	रोकड़ बही की तिथि	BOQ की राशि
1	06.02.2012	221250
2	13.06.2013	85000
3	17.09.2013	65000
4	10.02.2016	92500
5	28.04.2016	12500
6	02.06.2016	5000
7	02.06.2016	5000
8	02.06.2016	30000
	कुल	516250

यह राशि विभिन्न निविदादाताओं (contractor) से निविदा (contract) के समय कार्यालय द्वारा अलग–अलग तिथियों मे प्राप्त/संग्रहित किया गया है। इस BOQ की राशि को कार्यालय द्वारा बैंक खाते में जमा किया गया है। सरकारी राजस्व को सरकार के उचित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए परन्तु यह पाया गया कि विभिन्न वर्षों के दौरान BOQ के रूप में कार्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित कुल राशि रू0 473984 को कार्यालय द्वारा संधारित बैंक खाते में रखा गया है।

उक्त बड़ी राशि (रू0 5.16 लाख) को कार्यालय द्वारा अवरोधित रखने एवं इसे समुचित शीर्ष में समयानुसार जमा नही करने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि दिनांक 31.05.2017 को बनाये गये अंतशेष की विवरणी के अनुसार BOQ की राशि रू0 473984 है। जबकि रोकड़ बही की उक्त तिथिवार विवरणी के अनुसार विभिन्न तिथियों को रोकड़ बही में अंकित BOQ की कुल राशि का योग रू0 516250 है । दोनों राशियों में रू0 42266 का अंतर है। इस अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि BOQ की राशि को विभाग से निर्देश प्राप्त कर उचित शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा।

अतः रू0 5.16 लाख के अवरोधन एवं रू0 42266 के अंतर का कारणों से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 3. संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं रू0 3.54 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना अभिलेखों के नमूना जांच क्रम में पाया गया कि निम्न योजनाएं संवेदकों द्वारा विलम्ब से पूर्ण की गईं परन्तु इन्हें भुगतान करते समय नियमानुसार हर्जाने के रूप में विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गईः—

क्रम सं	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	विलम्ब	विलम्ब शुल्क/ हर्जाने की राशि रु
1	आशिक के झोपड़ी से नन्हक राय के घर तक भरत दास तक से रामविलास के घर होते हुए अख्तर हुसैन के घर तक पी.सी.सी. रोड का निर्माण।	1135158	07.10.2014	29.10.2014	22 दिन	113516
2	बैदराबाद कागजी मुहल्ला में वार्ड संख्या 20 में 500 फीट पी.सी.सी. निर्माण कार्य	707450	04.06.2016	20.06.2016	16 दिन	70745
3	ग्राम खनगाह से अरवल एन.एच.110 तक पी.सी.सी. कार्य	707450	04.06.2016	20.06.2016	16 दिन	70745
4	मिठु मियां के घर से मस्जिद के निकट तक पी.सी.सी. कार्य	987000	04.06.2016	20.06.2016	16 दिन	98700
	कुल					353706

उक्त कार्यों हेतु संवेदकों के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, यदि ऐसा नही किया जाता है तो संवेदक द्वारा प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा, विलम्ब शुल्क/हर्जाने के रूप में भुगतान करना होगा।

उक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि योजनाओं को पूर्ण करने में संवेदकों से विलम्ब हुआ है। अतः कार्य में विलंब को देखते हुए विलम्ब शुल्क/हर्जाने के रूप मे संवेदकों के विपत्रों से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना था, जो रू0 353706 होता है, परन्तु नियमानुसार इनसे उक्त राशि की वसूली नही की गई जो एकरारनामे की शर्त्त सं0 2 का स्पष्ट उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन कारणों से उक्त राशि की वसूली संवेदकों के विपत्रों से नही की गई।

जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त कार्रवाई की जाएगा।

अतः उक्त के कारणो से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर साक्ष्य के साथ फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 4. श्रम सेस की कटौती नहीं /कम कटौती रू0 2.84 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तद्नानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0 नि0 – 865 दिनांक 18.08. 2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत (1%) श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– मु0 नि0 (पथ) – 38 (अनु0) पटना/दिनांक– 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों में कराये जानेवाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु एक प्रतिशत (1%) की राषि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिये सम्मिलित है।

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं के लेखा परीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी के नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं कर, निर्माण कार्य से संबद्ध पूर्ण योजनाओं में जिनकी कुल लागत रू0 46681067.00 है, श्रम सेस की राशि (कुल लागत का एक प्रतिशत) रू0 466810.67 की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु मात्र रू0182601 की हीं कटौती की गयी। कुल 16 योजनाओं में श्रम सेस की कटौती बिलकुल भी नही की गई। विवरणी संलग्न है।

विवरणी के अनुसार लेबर सेस के रूप में रू0 284209.67 की कटौती संवेदकों के विपत्र से नही की गई जिसके फलस्वरूप उन्हें अधिक भुगतान किया गया। श्रम सेस के रूप में रू0 284209.67 की कटौती नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय तथा उक्त राशि संबधित संवेदकों से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

साथ हीं जिन पूर्ण योजनाओं में संवेदकों को अंतिम भुगतान बाकी है, उनको भुगतान करते समय नियमानुसार श्रम सेस की कटौती कर ली जाय तथा उन्हें संबंधित शीर्ष में जमा किया. जाय।

जवाब में बताया गया कि श्रम सेस की कम कटौती की गयी राशि एवं कटौती नहीं की गई राशि को संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 5. श्री शशि भूषण प्रसाद, सहायक अभियंता को दिये गये अग्रिम का समायोजन/वसूली लंबित रू0 0.25 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी के नमूना जाँच में पाया गया कि श्री शशि भूषण प्रसाद, सहायक अभियंता को चेक सं0 623441 दिनांक 16.11.2011 द्वारा रू0 25000 अग्रिम के रूप में दिया गया था। इस अग्रिम का समायोजन/वसूली लेखापरीक्षा की तिथि तक कार्यालय द्वारा नही किया गया था। अग्रिम देने के करीब साढ़े पांच वर्ष के बाद भी इसका समायोजन/वसूली नही होना वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है।

लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि करीब साढ़े पांच वर्ष के बाद भी किन कारणों से उक्त अग्रिम की वसूली/समायोजन श्री शशि भूषण प्रसाद, सहायक अभियंता से नही किया गया है।

जवाब में बताया गया कि श्री शशि भूषण प्रसाद, सहायक अभियंता से अग्रिम की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अतः उक्त अग्रिम की वसूली/समायोजन नही होने के कारणो से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 6. रॉयल्टी एवं वैट की राशि को संबंधित भीर्शों में जमा करने हेतु निर्गत चेकों की राशियों का बैंक खातें में डेबिट नही होना रू0 1.27 लाख।

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं बैंक समाधान विवरणी के नमूना जाँच में पाया गया कि रॉयल्टी एवं वैट की राशि क्रमशः रू0 35488 एवं रू0 53424 को संबंधित शीर्षों में जमा करने हेतु दिनांक 31.07.2014 को दो चेक सं0 क्रमशः 218155 एवं 2 8156 कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया। इसी तरह से रॉयल्टी की राशि रू0 38374 को संबंधित शीर्ष में जमा करने हेतु दिनांक 09.03.2016 को चेक सं 218199 निर्गत किया गया। परन्तु एक से तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद ये तीनों चेक कार्यालय के बैंक खाते में डेबिट नहीं

हुए हैं जिसके फलस्वरूप उक्त राशियां (कुल रू0 127286) संबंधित शीर्षों में जमा नही हो पाई। इन चेकों की राशियों को बैंक समाधान विवरणी में दर्शाया गया है।

नियमानुसार एक निर्गत चेक की मियाद मात्र तीन माह होती है। यदि उक्त अवधि में उपर्युक्त चेक कार्यालय के बैंक खाते में डेबिट नही हुए तो इसका कारण जानने के लिए क्या कार्यालय द्वारा इस संबंध में संबंधित बैंक से पत्राचार किया गया। चेकों की मियाद पूरी होने के बाद उनकी राशियों को रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में लेकर पुनः दूसरे चेक कार्यालय द्वारा क्यों नहीं निर्गत किये गये ताकि उक्त राशियां संबंधित शीर्षों में जमा हो सके।

उक्त का कारण स्पष्ट नही किया गया एवं जवाब में बताया गया कि राशि को संबंधित शीर्षों में जमा करायी जाएगी।

अतः उक्त के कारणो से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडि.ग 7. संवेदकों के विपत्रों से कटौती की गई राशियों को संबंधित शीर्षों में जमा नहीं किया जाना रू0 5.64 लाख।

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही के दिनांक 31.05.2017 को अंतशेष के ब्योरे के अनुसार उक्त तिथि तक विभिन्न संवेदकों के विपत्रों से VAT, IT, LC, Royalty एवं TOE के रूप में कटौती की गई कुल राशि रू0 563748 को सरकार के संबंधित शीर्षों में जमा नही किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं0	कटौती का विवरण	कटौती की राशि	सरकारी खाते में अंतिम जमा की तिथि
1	VAT	222064	08.09.2016
2	IT (आय कर)	36497	08.09.2016
3	LC (श्रम सेस)	192607	–
4	Royalty	90340	08.03.2016
5	TOE (विलम्ब शुल्क)	22240	–
	कुल	563748	

विवरण से स्पष्ट है कि VAT एवं IT की राशियां अंतिम रूप से दिनांक 08.09.2016 को एवं Royalty की राशि अंतिम रूप से दिनांक 08.03.2016 को संबंधित शीर्षों में जमा की गईं थीं जबकि LC एवं TOE की राशियां कभी भी जमा नही की गई हैं।

संवेदकों के विपत्रों से कटौती की गई उक्त राशियों (कुल रू0 563748) को इतने विलम्ब के बावजूद संबंधित शीर्षो में जमा नहीं करने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही इन्हें संबंधित शीर्षो में जमा करके इसका साक्ष्य लेखापरीक्षा में नही दिखाया गया।

जवाब में बताया गया कि राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करा दी जाएगी।

अतः उक्त के कारणों से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर साक्ष्य के साथ फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 8. <u>योजना मद की सूद की राशि को अवरूद्ध कर रखा जाना, रू0 8.23 लाख</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला पदाधिकारी द्वारा, जिला संचालन समिति द्वारा पारित योजनाओं के विरूद्ध निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् कार्य की प्रगति के अनुसार अगली किस्त की राशि निर्गत की जाती है। निर्गत राशियों को अभिकरण द्वारा एक अलग बैंक खाता में रखा जाता है। बैंक खातों में रखने के कारण जमाओं पर ब्याज की भी प्राप्ति होती है। प्राप्त सूद की राशि को पुनः स्वीकृतिदाता को वापस किया जाना चाहिए ताकि अन्य योजनाओं में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के नमूना जाँच में पाया गया कि फरवरी 2012 से मई 2017 की अवधि में कार्यालय द्वारा संधारित बैंक से सूद के रूप कुल रू0 822514 की प्राप्ति हुई थी। विस्तृत विवरणी निम्नवत हैः–

क्रम सं0	रोकड़ बही की तिथि	बैक द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि
1	06.02.2012	84436
2	12.09.2012	81677
3	19.02.2013	49565
4	02.08.2013	102757
5	31.01.2014	101968
6	30.11.2014	43470
7	31.01.2015	32188
8	31.07.2015	41507
9	31.01.2016	67589
10	30.04.2016	63999
11	31.07.2016	63551

12	30.10.2016	30819
13	31.01.2017	33171
14	30.04.2017	25817
	कुल	822514

आगे जाँच में पाया गया कि इस राशि को जिला पदाधिकारी को वापस नही किया था तथा लेखापरीक्षा तिथि तक अभिकरण के रोकड़बही एवं संबंधित बैंक खातें में ही पड़ा हुआ है। राशि को वापस नही किए जाने के कारण इसका इस्तेमाल किसी योजना में नही किया जा सका। इस प्रकार यह राशि बिना किसी उद्येश्य के अभिकरण के खाते में पड़ी है। ब्याज की उक्त राशि को अवरोधित रखे जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि दिनांक 31.05.2017 को बनाये गये अंतशेष की विवरणी के अनुसार बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि रू0 790326 है। जबकि रोकड़ बही की उक्त तिथिवार विवरणी के अनुसार बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि रू0 822514 है। दोनों राशियों में रू0 32188 का अंतर है। इस अंतर का कारण स्पष्ट किया जाय।

जवाब में बताया गया कि निर्देश प्राप्त कर अवरूद्ध सूद की राशि को निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः सूद की राशि रू0 8.23 लाख के अवरोधन एवं रू0 32188 के अंतर का कारणों से एवं जवाब के आलोक मे कार्रवाई कर फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका 9. <u>अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण</u>

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, अरवल के लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेख अप्रस्तुत/असंधारित पाये गये जिनसे इनकी जांच संभव नही हो सकी:–

1. स्टॉक रजिस्टर
2. सम्पत्ति रजिस्टर (Assets Register)
3. स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी
4. शिकायत पंजी
5. योजनाओं के संबंध में लेजर (Ledger)
6. चेक निर्गत पंजी
7. टी. एण्ड पी. रजिस्टर
8. Interest Bearing Register
9. योजना पंजी
10. परिमाण विपत्र बिक्री पंजी

11. अनुदान/आवंटन एवं विनियोग पंजी
12. संविदा पंजी
13. प्राप्त आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र
14. स्टॉक एवं स्टोर का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र
15. रसीद बहीयों की भण्डार पंजी
16. पंजिकृत संवेदकों की सूची
17. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों एवं निष्पादन की स्थिति
18. देयताओं से संबंधित पंजी
19. आदेशों, अनुदेशों आदि से संबंधित गार्ड फाइल
20. मापी पुस्तिका भंडारण एवं आपूर्त्ति पंजी
21. निविदा प्राप्ति एवं स्वीकृति पंजी
22. आंतरिक अंकेक्षण अथवा उच्चाधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित संचिका

जवाब में बताया गया कि अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में इन्हें अगले लेखापरीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध कराया जाय।

–हस्ता0–
(अशोक कुमार झा)
व0ले0 प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

श्रम सेस की कम कटौत/कटौती नहीं की विवरणी

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी की राशि	योजना पर कुल व्यय (रॉयल्टी एवं वैट सहित)	लेबर सेस की कटौती योग्य राषि (कुल व्यय का 1 प्रतिशत)	लेवर शेष की कटौती की गई राशि	लेबर सेस की कम कटौती/नही कटौती	योजना की भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण कार्य प्रगति पर	संवेदक का नाम
1	बैदराबाद बाजार में देवनाथ शौण्डिक से लेकर चन्द्रमा प्रसाद हलवाई तक पी.सी.सी. /नाली एवं ईट सौलिंग सहित निर्माण।	1487100	1264035	1203806	12038.06	0.00	12038.06	पुर्ण	श्री जंग बहादुर सिंह
2	मेन बाजार बैदराबाद बाजार से पासी टोला तक पी.सी. सी./नाली एवं ईट सौलिंग सहित निर्माण।	750600	650999	650999	6509.99	0.00	6509.99	पुर्ण	श्री संजीव कुमार सिंह
3	बैदराबाद बाजार में ओम जयसलाव से पासी टोला होते हुए देवी स्थान तक पी.सी.सी. /नाली एवं ईट सौलिंग सहित निर्माण।	1083000	920550	876683	8766.83	0.00	8766.83	पुर्ण	श्री विनय कुमार सिंह
4	बैदराबाद डाकघर के बगल में धोबी टोला मछुआ टोला से कानू टोला तक पी.सी.सी./नाली एवं ईट सौलिंग सहित निर्माण।	558500	558500	531848	5318.48	0.00	5318.48	पुर्ण	मे0 माँ बंजारी कन्सट्रक्सन.
5	बैदराबाद बंन्धु साव के मकान से औरालाल के अस्पताल तक पी.सी.सी./नाली एव ईट सौलिंग सहित निर्माण।	956300	834793	834774	8347.74	0.00	8347.74	पुर्ण	श्री रण विजय कुमार
6	बैदराबाद एन.एच.98 से प्रा.वि. से चुन्ददेव पासवान तक पी.सी.सी./नाली एवं ईट सौलिंग सहित निर्माण।	1133800	1133800	902901	9029.01	0.00	9029.01	पुर्ण	जय मातादी रोड कन्सट्रसन प्रा0 लि0
7	खनकुलीपुर से मिथलेश सिंह के घर तक पी.सी.सी.0 निर्माण।	913300	899600	856771	8567.71	0.00	8567.71	पुर्ण	श्री ब्रजेश कुमार
8	अरवल एन.एच. 110 से सांस्कृति भवन के बगल से सिंन्हा जी के मकान तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य ।	532100	452285	430800	4308.00	0.00	4308.00	पुर्ण	श्री सच्चिदानन्द पीयुसें
9	गाँधी मैदान से एन.एच.98 तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	2170800	1845180	1757304	17573.04	0.00	17573.04	पुर्ण	मे0 माँ कामख्या एण्ड कम्पनी
10	ग्राम अरवल सिंपाह नवल ठाकूर के घर से डा. मुनिलाल के घर तक पी.सी.सी. एवं नाली निर्माण।	1210000	1210000	798371	7983.71	0.00	7983.71	पुर्ण	श्री प्रवीण कुमार
11	ग्राम अरवल सिंपाह में विनोद के घर से लकर परिया देवी के घर तक पी.सी.सी. / नाली एवं ईट सोलिंग सहित निर्माण।	17344000	1474240	1404016	14040.16	0.00	14040.16	पुर्ण	श्री संजय कुमार
12	मल्हीपट्टी मस्जिद के निकट वकील खान के घर होते हुए नही तक पी.सी.सी. /नाली एवं ईट सैलिंग सहित निर्माण	1582100	1344785	1280749	12807.49	0.00	12807.49	पुर्ण	श्री संजय कुमार

[illegible]	रामाधार चौधरी के मकान से रामाश्रय चौधरी से राजनारायण चौधरी के घर तक पी.सी.सी. सोलिंग सहित निर्माण।	536100	536100	510566	5105.66	0.00	5105.66	पुर्ण	श्री अंशु कुमार
14	जनकपुर घाट से मखदुआना होते हुए शाही मुहल्ला तक पी.सी.सी. एवं सोलिंग सहित निर्माण।	3837454	3261836	3261836	32618.36	0.00	32618.36	पुर्ण	मे0 माँ बंजारी कन्स्ट्रक्सन
15	कन्या उच्च विद्यालय के बगल वाली गली एन.एच. 110 से लेकर उदय साव के घर तक पी.सी.सी. नाला निर्माण सहित ।	865153	772140	750274	7502.74	0.00	7502.74	पुर्ण	श्री अजंनी कुमार
16	ग्राम उमैराबाद से महुआरी पथ से ग्राम खनगाह तक पी.सी.सी. / सोलिंग सहित निर्माण।	4739372	4229855	3998941	39989.41		39989.41	पुर्ण	माँ मुण्डेश्वर कन्स्ट्रक्सन
17	पुराना पी.एच.सी. अरवल से पश्चिम नहर तक नाला कलभर्ट एवं पी.सी.सी. कार्य ।	1890242	1602306	1602306	16023.06	12798.00	3225.06	पुर्ण	श्री विजय कुमार शर्मा
18	अतिथि गृह अरवल का सौन्दर्यीकरण	3740528	3497710	3497710	34977.10	1254.00	33723.10	पुर्ण	श्री ब्रजेश कुमार
19	मोथा तलाब का सौन्दर्यीकरण	2398388	2247518	2247518	22475.18	6463.00	16012.18	पुर्ण	श्री सुबोध कुमार भास्कर
20	गाँधी मैदान का सौन्दर्यीकरण	1054700	987300	987300	9873.00	784.00	9089.00	पुर्ण	श्री ब्रजेश कुमार
21	समाहरणालय अरवल में पार्क एवं सौन्दर्यीकरण	2567320	2405735	2023035	20230.35	2747.00	17483.35	पुर्ण	श्री ब्रजेश कुमार
22	वार्ड नं0–11 रोजापर एन.एच.110 से होते हुए शेषनागा ठाकूर के घर से होते हुए रामेश्वर सिंह के घर तक एवं एन.एच.110 से गणेश सिंह के घर तक पी.सी.सी. सोलिंग सहित निर्माण।	975009	938376	936427	9364.27	9364.00	0.27	पुर्ण	श्री अनिल कुमार सुमन
23	बेदराबाद से कुलवंत सहाय दुर्गा स्थान से कागजी मुहल्ला छठ घाट तक पी.सी.सी. रोड सोलिंग सहित का निर्माणं	4341433	3764104	3755617	37556.17	37556.00	0.17	पुर्ण	श्री ब्रजेश कुमार
24	मल्हीपट्टी कब्रिस्तान से मखदुमपुर के पीछे मकसूद साहब तक पी.सी.सी. रोड ईट सोलिंग सहित का निर्माण।	2087433	2015662	1805784	18057.84	18058.00	0.16	पुर्ण	श्री मनीष कुमार
25	आशिक के झोपड़ी से नन्हक राय के घर हुए भरत दास तक से रामविलास के घर होते हुए अख्तर हुसैन के घर तक पी.सी.सी. रोड का निर्माण।	1135158	958056	957853	9578.53	9579.00	0.47	पुर्ण	श्री विजय कुमार
26	बेदराबाद बाजार में नाला का निर्माण कार्य	3013900	1506950	1536637	15366.37	15070.00	296.37	कार्य प्रगति में	श्री नवीन कुमार
27	मिठु मियां के घर से मस्जिद के निकट तक पी.सी.सी. कार्य	987066	888339	846038	8460.38	8460.00	0.38	पुर्ण	श्रीमति वीणा देवी
28	बेदराबाद कागजी मुहल्ला में वार्ड संख्या 20 में 500 फीट पी.सी.सी. निर्माण कार्य	707450	635236	605912	6059.12	6059.00	0.12	पुर्ण	श्री विमल कुमार
29	बेदराबाद मलहटोली में अतिपिछड़ा मुहल्ला से सौने जाने वाली रास्ते में 500फीट पी.सी.सी. निर्माण कार्य	707450	606064	639751	6397.51	2523.00	3874.51	पुर्ण	श्री धमेन्द्र कुमार
30	पुरानी अरवल में मंजुर खलीफा के घर से मंजुर अहमद तक पी.सी.सी. और नाली निर्माण कार्य	1336450	1198739	1141490	11414.90	11415.00	0.10	पुर्ण	श्री विमल कुमार
31	ग्राम खनगाह से अरवल एन.एच.110 तक पी.सी.सी. कार्य	707450	636804	606480	6064.80	6065.00	0.20	पुर्ण	श्री विमल कुमार
32	ग्राम ओझा बिगहा में हिरालाल सिंह के मकान से साईफन तक नाला का निर्माण कार्य	1036950	933272	888831	8888.31	8889.00	0.69	पुर्ण	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा
33	समाहरणालय अरवल मुख्य द्वार से समाहरणालय परिषद् तक पी.सी.सी. एवं सौन्दर्यीकरण अरवल।	2818524	2551739	2551739	25517.39	25517.00	0.39	पुर्ण	श्री राम प्रवेश सिंह
	कुल	71205130	48762608	46681067	466810.67	182601.00	284209.67		